तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/02/21	वाद साथ उप; अधि० अर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब बाद विश्लेषण करने का पेश किया, सा.मि० है। अधिवक्ता अर्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस अभवान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इस कारण वादी प्रतिवादी के विरुद्ध आगे प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते है। लिहाजा अधि मय अर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन पश्चात मय अर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21 R.T. विथ 1955 के जरिये विश्लेषण स्वीकार किया जाता है। पक्षावली ऐसल मुलाहिजा करके नजर से कम है। बाद तकमील जाब्ता बाकीस वापस शेष भण्डार जमा हो। SD/S.Sood उप खण्ड अधिकारी तोषा (जिला-पानी)